

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 75/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

मु0 फूल पत्नी प्रमूलाल रेबारी निवासी ढाणीभवसागर तह0 शाहपुरा

प्राथीया

बनाम

- 1- मु0 फुमादेवी पत्नी रामबक्ष रेबारी निवासी ढाणीभवसागर तह0 शाहपुरा
- 2- प्रमू पिता बालू रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तह0 शाहपुरा
- 3- रामजस पिता मदन धाकड निवासी ढाणी भवसागर

उपस्थिति - श्री योगन्द्र सिंह भाटी  
अधिवक्ता प्रार्थीया

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 04/01/2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीया का ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 687/661 रकबा 0.06 है0 कित्ता 1 रकबा 0.06 है0 हैक्टेयर का/की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि का विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आय का सोमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्थरगढी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुना गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी भवसागर संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीया खातेदार दर्ज होकर अपना आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढाणी भवसागर में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 1 रकबा 0.06 है0 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 50/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर सुन्दर हो कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/01/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
उपसहायक कलेक्टर  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी  
उपसहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.